



वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: प०वि०वि०/डी०एस०डब्ल्यू/६०८ / २०२४-२५
प्रेषक,

अति आवश्यक/समयबद्ध

दिनांक : 28.06.2024

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय, जनपद जौनपुर, गाजीपुर
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के पत्र संख्या: स०क०/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2024-25 दिनांक 27.06.2024 एवं समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-सी०-९२८ दिनांक 20.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० शासन, समाज कल्याण अनुभाग-३ के कार्यालय ज्ञात संख्या-७६/२०२३/२६३४/२६-३-२०२३/C.N.-१५७४३१६ दिनांक 27 सितम्बर, २०२३ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियम १२ का कढ़ाई से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। नियमावली के नियम-१२ में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप कार्य किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासन के पत्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

28/06/24

(प्रो० अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर एवं गाजीपुर के सूचनार्थ।
- 2-निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 3-निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 4-उप कुलसचिव छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रधानाचार्य,
राजकीय व अनुदानित,
शिक्षण संस्थान, जनपद—जौनपुर।

पत्रांक— / स०क०/ दशमोत्तर छात्रवृत्ति / 2024-25 दिनांक—24.06.2024 २७-

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-45 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र०लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या—सी०-९२८ दिनांक—20.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ०प्र० शासन, समाज कल्याण अनुभाग—३ के कार्यालय ज्ञात संख्या—७६/२०२३/२६३४/२६-३-२०२३/C.N.-१५७४३१६ दिनांक 27 सितम्बर, 2023, द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली—२०२३ जारी की गयी है। नियमावली के नियम—१२ का कढ़ाई से पालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। नियमावली के नियम—१२ में निःशुल्क प्रवेश एवं फीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :—

(क)— राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-केंवाई०सी०) एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइल समिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होंगी।

(ख)— फीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रृटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग)— राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड वैक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संवंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ)— संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र(छायाप्रति संलग्न) निष्पादित किया जायेगा।

2— चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल 01 जुलाई से खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल से प्रारम्भ होगी। छात्र द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार पोर्टल पर

रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रारूप में 12 बिन्दु निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण संस्था का नाम, वर्ग/जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी० व स्वनिर्भित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

3— रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति का चयन किये जाने पर फीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया पेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

4— फीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण—पत्र व जाति प्रमाण—पत्र के नम्बर भरने पर ई—डिस्ट्रिक्ट की साईट से स्वतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फीशिप कार्ड पोर्टल से डाऊनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण—पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराना जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

5— छात्र द्वारा उक्त फीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान/अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्य बाध्यकारी है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशक समाज कल्याण उ०प्र०लखनऊ द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाय।

सर्वदीय
(साई तेजा सीलम)
मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

पृष्ठांकन—
प्रतिलिपि—

/ तददिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक समाज कल्याण उ०प्र०लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. जिलाधिकारी महोदय जौनपुर।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण वीर बहादुर पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर, प्राचार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर, प्रधानाचार्य राजकीय आई०टी०आई०कालेज, सिद्धीकपुर, जौनपुर, प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक, जगदीशपुर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक समाज कल्याण द्वारा दिये गये निर्देशों का कढ़ाई से पालन करने के साथ ही अपने स्तर से अपने अधीनस्त ऐसे शिक्षण संस्थाओं को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रारूप में 12 बिन्दु निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण संस्था का नाम, वर्ग/जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी० व स्वनिर्मित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

3- रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति/अनुजनजाति का चयन किये जाने पर फीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया पेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

4— फीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण-पत्र व जाति प्रमाण-पत्र के नम्बर भरने पर ई-डिस्ट्रिक्ट की साईट से खतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फीशिप कार्ड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराना जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

5— छात्र द्वारा उक्त फीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान/अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्य बाध्यकारी है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशक समाज कल्याण उपरोक्त द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशों का कढाई से पालन करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाय।

भवदीय

(साई तेजा सीलम)
मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

पृष्ठांकन- C-US/^O तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक समाज कल्याण उ०प्र०लखनऊ।
 2. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल,वाराणसी।
 3. जिलाधिकारी महोदय जौनपुर।
 4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर।
 5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर,जिला विद्यालय निरीक्षक,जौनपुर, प्राचार्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर, प्रधानाचार्य राजकीय राजकीय आई०टी०आई०कालेज,सिद्दीकपुर,जौनपुर, प्रधानाचार्य राजकीय पालिटेक्निक,जगदीशपुर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक समाज कल्याण द्वारा दिये गये निर्देशों कढाई से पालन करने के साथ ही अपने स्तर से अपने अधीनस्त ऐसे शिक्षण संस्थाओं को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित करना सुनिश्चित करें।



मुख्य विकास अधिकारी,
जौनपुर।

(३३)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(रु०-१००/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को (1)कु०/श्रीमती/श्री.....जाति.....निवासी ग्राम/मु०.....तहसील.....जिला.....जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

(2)..... (संस्थाध्यक्ष), पता.....जनपद.....(जहाँ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित है। नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को रखा रखते हैं :-

1— द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली के अनुपालन में देगा।

2— प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3— द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4— प्रथम पक्ष के आधार सीडेड बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतन ०७ दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5— प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कार्य करने से अनुपालन करेगा।

6— प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष :

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं०-१

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

द्वितीय पक्ष :

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

साक्षी सं०-२

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....